

सफलता के लिए पांच आवश्यक उद्यमशीलता कौशल : एकाग्रता, भेदभाव, संगठन, नवाचार और संचार .

# परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 161, नई दिल्ली, मंगलवार 19 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

RNI No :- DELHIN/2023/86499  
DCP Licensing Number :  
F.2 (P-2) Press/2023

03 घनचक्कर बना भाजपा का प्रमुख कार्यकर्ता किसकी चौखट पर जाए

06 प्रकृति से खिलवाड़ के खतरनाक नतीजे

08 डिप्टी कमिश्नर द्वारा खानकोट इलाके का दौरा

**निम्नलिखित चार पहिया वाहन सी/डब्ल्यू ईटानगर पुलिस स्टेशन केस संख्या 102/2025 यू/एस 1|1(2)\(बी)(3)(4) (5)317(4) 336(2)/ 340(2)/ 61(2) बीएनएस' 2023 में जांच के दौरान बरामद किए गए हैं। कृपया सत्यापित करें कि आपके पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किसी भी चोरी/गुम वाहन की रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध बरामद वाहनों से मेल खाती है।**

**WT MSG**

TO :: ALL SHO POLICE STATIONS INDIA  
INFO :: SP, ITANAGAR ICR (ARUNACHAL PRADESH)  
FM :: OC PS ITANAGAR, DISTT.- PAPUMPARE CAPITAL, ARUNACHAL PRADESH

NO.ITA/PS/R-C/27/2020 DTD.14/08/2025 [-] THE FOLLG FOUR-WHEELER VEHICLES HAVE BEEN RECOVERED DURING THE INVESTIGATION IN C/W ITANAGAR POLICE STATION CASE NO. 102/2025 U/S 111(2)(b)(3)(4)(5)/ 317(4)/336(2)/340(2)/61(2) BNS' 2023 [-] KINDLY VERIFY ANY THEFT/ MISSING VEHICLE REPORT REGISTERED IN YR PM MATCHES WITH THE BELOW LISTED RECOVERED VEHICLES [-]

S. NO.	VEHICLE MAKE & MODEL	ORIGINAL RC	ORIGINAL CHASSIS NO.	ORIGINAL ENGINE NO.
1.	WHITE BREZZA	DL-9CAB-5226	MA3NYFB1SKB515107	D13A-5794992
2.	CRETA BLACK	DL-9CBA-7237	MALPC812LNM432472	G4FLNV341849
3.	FORTUNER WHITE	DL-8CAX-8200	MBJAA3GS300539778-0119	1GDA279301
4.	BLACK SELTOS	DL-7CWB-6018	MZBEU812LRN625250	G4FLRV740244
5.	SELTOS WHITE	DL-8CBG-9737	MZBET815VFN584169	G4LHPM676129
6.	TOYOTA FORTUNER	DL-3CCM-6346	MBJAA3GS000526941-0817	1GDA122052
7.	FORTUNER BLACK	UP15CW0088	MBJAA3GS00539426-0119	1GDA271158
8.	WHITE CRETA	DL4CDB1506	MALPC812TRM730810	G4FLPV689970
9.	CRETA WHITE	DL-8CBC-8080	MALPC812TMM194157	G4FLMV181311
10.	BLACK CRETA	HR13T4354	MALPC812TRM390326	G4FLNV337766
11.	WHITE CRETA REAR GLASS BROKEN	DL8CBJ-3395	MALPB812LRM094879	G4FLRV001209
12.	HYUNDAI CRETA WHITE	DL4CBA6904	MALPC812LMM214868	G4FLMB472618
13.	FORD ENDEAVOUR	UK01D0111	MAJAXXMRWAGG80238	GG80238
14.	BLACK CRETA	DL-8CBA-4387	MALPC812TLM059542	G4FLV066652
15.	TATA SAFARI (GOLDEN)	DL-9CBA-3360	MAT631181NWK76135	46343841 4214835
16.	WHITE CRETA	DL5CS5748	MALPC813LMM132478	D4FAMM185231
17.	TATA HARRIER	CH01CF0622	MAT631563MPG74819	46343885- 4123144 46343841- 4197549
18.	TATA SAFARI WHITE	DL14CG5107	MAT631172NWG64080	
19.	BLACK CRETA	HR26ER1443	MZBEU812TMM257048	G4FLMV186328
20.	KIA SONET WHITE	DL1CAF7673	MZBFF813LNN181909	D4FANM517006

21.	WHITE CRETA	HR72F1111	MALPC813LMM176762	D4FAMM271906
22.	KIA SONET BLACK	DL-14CF-5314	MZBFF811LNN124233	G3LCMV017738
23.	BLACK CRETA	BR01FY0320	MALPC811VNM411872	G4LDNB020353
24.	THAR GREY	DL12CT9695	MA1UJ4YF7M2F49383	YFM4F41496
25.	CRETA (WHITE & BLACK DUAL TONE)	DL12CY1728	MALPC8122RM775046	G4FLRV771871
26.	BLACK CRETA	HR30AB6971	MALPB812LRM745583	G4FLRV728952
27.	WHITE CRETA	DL7CU6244	MALPC812TMM412212	G4FLNV419906
28.	FORTUNER BLACK PPF	DL-10CM-5593	MALAA3GS600541878-0419	1GDA315481
29.	VENUE BLUE	HR98H6748	MALFE81AVNM414585	G3LCNM710628
30.	CRETA BLACK	DL5CV0515	MALPB812LPM501361	G4FLPV542092
31.	CRETA WHITE	UP14FE0207	MALPC812TMM354041	G4FLNV339192
32.	CRETA BLACK	DL10CV0397	MALPC812TPM466976	G4FLPV477510
33.	CRETA WHITE	DL3CCV4987	MALPC812TMM293546	G4FLMV257747
34.	BLACK CRETA	DL1CAH0520	MALPB812LPM559943	G4FLPV617851
35.	CRETA WHITE	DL10CQ7079	MALPC812TMM247997	G4FLMV246501
36.	WHITE FORTUNER	DL8CAZ3063	MBJGA3GS100387705-1119	1GDA374493
37.	BLACK SELTOS	PB03BE3962	MZBEU812LLN143556	G4FLV058595
38.	FORTUNER WHITE	HR-85B-0011	MBJAA3GS300534760-0618	1GDA204219
39.	AUDI BLACK	UK07BQ0050	WAUZA64M1GY000270	CVM005151
40.	WHITE BREZZA	DL-11CC-8040	MA3NYFJ1SMM869787	K15BN1253640
41.	CRETA WHITE	DL-8CBC-4100	MALPC811VMM194142	G4LDMG012041
42.	BLACK CRETA	RJ06CF8582	MALPC813LRM725323	D4FARM075656
43.	WHITE CRETA	DL8CBJ1647	MALPC812TRM784824	G4FLRV767439
44.	WHITE FORTUNER	DL10CK-8034	MBJAA3GS200531146-0418	1GDA185316
45.	WHITE CRETA	UP32PH1664	MALPB812TRM724833	G4FLPV680263
46.	FORTUNER WHITE	HR26DM2500	MBJAA3GS000531346-0118	1GDA164221
47.	SELTOS KIA	HR98C7845	MZBEU812TMM316442	G4FLMV261306
48.	KIA SELTOS	DL7CW9396	MZBET815VFN583482	G4LHPM714833

49.	MARUTI BALENO	AS02AL5074	MBHWHB13SPA369986	K12NP4199811
50.	SCORPIO BLACK	UP14-DR-2000	MA1TA2WR2JE48983	WRJ44E14796
51.	FORTUNER WHITE	DL8CBB2443	MAJAA3GS700549875-0121	1GDA472197
52.	FORTUNER WHITE	DL8CAQ2697	MBJBA3FS100803733-0217	1GDA075478
53.	BLACK FORTUNER	DL3CCS2070	MBJAA3GS800545849-0122	1GDA393522
54.	WHITE FORTUNER	DL10CR1868	MBJAA3GS100563545	1GDA600836
55.	BLACK SELTOS	DL14CH8316	MZBEU812LPN580809	G4FLPV667301
56.	BLACK BLUISH CRETA	RJ18CE-5767	MALPA812LPM488546	G4FLPV521439
57.	WHITE CRETA	DL7CS1756	MALPC812LMM157683	G4FLMB422004
58.	WHITE FORTUNER	DL3CCQ-1881	MBJBA3FS600816882-1118	1GDA253819
59.	WHITE FORTUNER	HR26DD0016	MBJGA3GS900371753-0317	1GDA078770
60.	WHITE FORTUNER	CH01BX7920	MBJAA3GS000542511****	1GDA326666
61.	SELTOS MATT BLACK	DL9CBE9111	MZBET815VFN585003	G4LHPM760949
62.	BREZZA WHITE	DL1CAC6655	MA3NYFJ1SLF650598	K15BN1120525
63.	FORTUNER WHITE	UP12AY2222	MBJGA3GS000384410-0219	1GDA293741
64.	BREZZA GREY SILVER	DL11CC8040	MA3NYFJ1SMM869787	K15BN1253640
65.	WHITE CRETA	HR98J6041	MALPC812TPM468440	G4FLPV490967
66.	CRETA WHITE	DL-10CQ-2413	MALPC813LMM208504	D4FAMM326512
67.	CRETA BLACK	HR-51CE-5599	MALPC813MML184857	D4FAMM285112
68.	BLACK THAR	RJ45CY1465	MA1UJ2TZ2P2J19523	TZPJZ24416

[ - ] REQUEST TO CHECK THE RECORDS OF YOUR RESPECTIVE PSs AND CONFIRM BY RETURN SIGNAL OR EMAIL I.E. SPCAP@ARUNPOL.NIC.IN WITH INTIMATION TO THE I.O. OF THE CASE DYSP KENGO DIRCHI, APPS, SDPO ITANAGAR, MOB. NO.8974180486 [ - ] FOR INFO PLEASE [ - ]

OC PS ITA

## टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

**स्पष्टीकरण**  
नागरिक और राजनीतिक अधिकार हर इंसान की गरिमा, आजादी और बराबरी सुनिश्चित करने के लिए दिए गए अधिकार हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है - "किसी भी व्यक्ति को क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन न किया जाए।" यह अधिकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार अधिनियम का अनुच्छेद 5 - स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार - हमें हमारी स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से छीने जाने से बचाता है। यह अधिकार विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आतंकवाद हिरासत में हैं या आपराधिक न्याय प्रणाली में हैं या मानसिक स्वास्थ्य कानूनों के तहत हिरासत में हैं।  
नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद 7, किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक



व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। विशेषकर, किसी को भी उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं करने दिए जाएंगे।

**इसका अर्थ है:** किसी को भी यातना या अमानवीय सजा नहीं दी जा सकती। जेल में बंद व्यक्ति भी इंसान है, उसे अपमानजनक व्यवहार से नहीं गुजरना चाहिए। पुलिस हिरासत, सैन्य कार्रवाई या कानून लागू करने में भी मानव गरिमा का सम्मान होना चाहिए। यह अधिकार हर परिस्थिति में लागू होता है - चाहे युद्ध हो,

**आतंकवाद हो या कोई अन्य स्थिति।**  
टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) का मानना है

1. "मानव गरिमा सबसे बड़ा अधिकार है।"
2. "क्रूरता नहीं, करुणा चाहिए।"
3. "अमानवीय दंड मानवाधिकार का अपमान है। आर आर भी चाहते हैं कि भारत देश में सबको उनके अधिकार मिले तो टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) के सदस्य/ कार्यकर्ता बने।

## पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस

असंगठित सेक्टर को इंस्टीट्यूट, ट्रेड, कॉरपोरेशन या आयोग का दर्जा दे सरकार।  
नाजायज टोल, आरटीओ, ई-चालान, पुलिस की तानाशाही, बॉर्डर की टूट, ग्रीन टेक्स, खलब खल, पार्किंग चार्ज, पुलिस की तानाशाही जैसे बहुत से तरीकों से ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का अत्याचार लगातार जारी रहता है। दम तोड़ने ट्रांसपोर्टर और गाड़ी मालिक, रोड़ों पर पिछले ड्राइवरों से करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने की संभावना है ट्रांसपोर्टरों की कमाई से चुनाव में फ्री की रेडिया बॉटने वाली सरकार को बदले में ट्रांसपोर्टरों को इंस्टीट्यूट, ट्रेड, कॉरपोरेशन या आयोग जैसा दर्जा देकर उनके प्रति भी अपनी सख्त नुस्खी दिखाते हुए कुछ जिम्मेवारी लेकर सम्मान देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक के के सेठी, सुरेश शर्मा, एस पी गुप्ता, सुनील सिंगला, प्रदेश अध्यक्ष सत्यापाल भाटी, राजेश शर्मा, अजित भारद्वाज, सरदार रविंद्र सिंह, कमांडेंट हरीश कुमार, केदार यादव, राधेश्याम कौशिक, सतीश जोगजा, सुरेश शर्मा, महेन्द्र गौड़, अशोक कौशिक, सुरेश यादव उपस्थित थे।



आर के शर्मा

## ड्राइवर उत्पीड़न - एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती

भारत में सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इसमें व्यावसायिक ड्राइवरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्रक, ट्रेलर व भारी व्यावसायिक वाहन चालक देश के माल और यात्री परिवहन को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। हालांकि, इन ड्राइवरों को विभिन्न स्तरों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जो न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा और परिवहन उद्योग की दक्षता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।  
ड्राइवर उत्पीड़न के प्रमुख रूप और अर्थ के रूप में पुलिस और प्रशासनिक उत्पीड़न प्रमुख है -  
कई ड्राइवरों ने बताया है कि चैकपोइंट्स पर पुलिस और परिवहन अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीके से चालान काटे जाते हैं या रिश्वत मांगी जाती है व नहीं देने पर तिरस्कार व उत्पीड़न प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, 24 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ के एक पट्टे के तहत एक ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस के बीच तीखी बहस का उल्लेख किया गया, जहां ड्राइवर ने दावा किया कि उसकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनुचित चालानों में चला गया।  
आजमाद में व्यावसायिक ड्राइवर एकता संगठन ने जंजीर पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अनुचित चालानों और प्रशासनिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाई वहीं हरियाणा के सतीश धनखड़ ने जंजीर पहनकर आजाद देश के गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े प्रदर्शन किया।  
आर्थिक शोषण के तहत ट्रक और ट्रेलर ड्राइवरों को अक्सर कम वेतन, लंबे कार्य समय और अपर्याप्त आराम की सुविधाओं का सामना लगातार करना पड़ता है। हरियाणा के नरेंद्र



बुवाना व उनकी टीम ने ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत में उनके अधिकारों और आर्थिक शोषण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली में बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने 6 मई 2025 को सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें उन्होंने अनुचित कार्य परिस्थितियों और आर्थिक दबाव जिक्र भी किया। सामाजिक भेदभाव और असुरक्षा के अन्तर्गत ड्राइवरों, विशेष रूप से ट्रक और ट्रेलर चालकों को, सामाजिक रूप से सदा हाशिए पर रखा जाता है। बिहार में 2 लाख ड्राइवरों के सामने 2025 के चुनावों से पहले अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं व सामाजिक सुरक्षा हेतु पर्याप्त कोशिश नहीं की गयी है।  
उस पर से अपंजीकृत हजारों व्हाट्सएप व सोशलिंग मिडिया पर संस्थाओं की भरमार ने कहीं न कहीं करोड़ों चालकों के आस्था व विश्वास को ठेस पहुंचाई है इसलिए राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार को इन संस्थाओं का जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तरीय जांच व उचित कार्रवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।  
सुभास यादव- बक्सर बिहार र ओडिशा

बिहार-उत्तर प्रदेश रूट के अनुसार--मेरे बारह वर्ष के चालक काल में कोई संस्था से न तो मुझे कोई मदद मिला न ही किसी ऐसी चालक संस्था के विषय में मुझे जानकारी है।  
**सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभाव:**  
2025 में लागू नए ट्रैफिक नियमों, जैसे नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल, नो पार्किंग 20000 ने ड्राइवरों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है। हालांकि ड्राइविंग के दौरान मानसिक तनाव प्रमुख रूप से पाया गया। आर्थिक बोझ के रूप में ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माने में 10 गुना तक की वृद्धि हुई है, जिससे ड्राइवरों की आय पर भारी असर पड़ रहा है।  
सामाजिक प्रभाव के रूप में ड्राइवरों को सामाजिक रूप से कमजोर व असंगठित वर्ग के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण उनके

अधिकारों की लगातार अनदेखी होती है। प्रस्तावित समाधान के रूप में पारदर्शी चालान प्रणाली, डिजिटल चालान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, ताकि अनुचित चालानों को रोका जा सके। ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता-ड्राइवरों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।  
आर्थिक और सामाजिक सहायता के रूप में ड्राइवरों के लिए सरकारी बीमा योजनाएं, न्यूनतम वेतन नीति, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निश्चित रूप से शुरू किए जाएं।  
सड़क सुरक्षा और उत्पीड़न के बीच संतुलन में सख्त ट्रैफिक नियमों के साथ-साथ ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।  
कानूनी सहायता में ड्राइवरों को अनुचित उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र प्रत्येक परिवहन कार्यालय स्तर पर तुरंत स्थापित किए जाएं।  
**आह्वान:**  
उफ्तत्सा -राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा रट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी सरकार, परिवहन संगठनों, और नागरिक समाज से आग्रह करते हैं कि वे ड्राइवर उत्पीड़न के इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दें और इसे समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं। ड्राइवर न केवल परिवहन उद्योग का आधार हैं, बल्कि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण व अकाट्य हिस्सा भी हैं। उनकी गरिमा, मान सम्मान और स्वाभिमान सह उनके संवैधानिक व मानवीय अधिकारों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।  
**उफ्तत्सा "राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा" (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)**

**BHARAT MAHA EV RALLY**

**GREEN MOBILITY AMBASSADOR**

Print Media - Delhi

India's (Bharat) Longest Ev Rally

200% Growth in EV Industries

10,000+ Participants

10 L Physical Meeting

1000+ Volunteers

100+ NGOs

100+ MOU

1000+ Media

500+ Universities

2500+ Institutions

23 IIT

28 States

9 Union Territories

30+ Ministries

**21000+KM**

100 Days Travel

**Sanjay Batla**

1 Cr. Tree Plantation

Organized by:

**IFEVA**

International Federation of Electric Vehicle Association

9 SEP 2025

INDIA

+91-9811011439, +91-9650933334

www.fevaev.com

info@fevaev.com

## यहां सब भटक रहे हैं क्योंकि हम ब्रह्मचक्र को समझते नहीं हैं। यह चक्र इतना विशाल है कि इसमें सारे जीव रह सकते हैं और वहीं अपनी आजीविका भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस संसृति-चक्र में, इस जन्म-मरण के चक्र में जीव भटका करते हैं। हमें किसलिए इस चक्र में घूमना पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने को परमात्मा से अलग/स्वतंत्र/पृथक् मानते हैं। इसी कारण हमें अनन्त बार जन्म लेना पड़ता है तथा मरना पड़ता है। इस चक्र से छूटने का रास्ता बताते हुए हमारे मनीषी कहते हैं कि साधक अपने को जब परमात्मा से अभिन्न जानता है तो जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है, तभी शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। ध्यान रहे कि जब तक जीव अपने को परमात्मा से पृथक् मानता है, स्वतन्त्र समझता है, तब तक उसका जन्म-मरण चलता रहता है, परंतु जब सद्गुरु/मनीषी की कृपा/उपवास से परमात्मा के साथ अपना अभेद समझ/जान लेता है, तब उसकी जन्म-मरण के भटकाव से निवृत्ति हो जाती है।

## नकली पौधों की हरियाली, रिशतों का सूखा रेगिस्तान

नकली पौधों की चमक आंखों को भले भा जाए, पर दिल को कभी नहीं छूती। वे हर जगह बिखरे पड़े हैं—घरों की सजी मेजों पर, दफ्तरों की ठंडी मेजों पर, मॉल्स की चकाचौंध में दीवारों को सजाते। उनकी पत्तियां हमेशा हरी, फूल हमेशा खिले, और रंग हमेशा बेदाग। न मुरझाने का डर, न देखभाल की जरूरत। पहली नजर में वे जादू सा बिखरते हैं, लेकिन पास जाकर बहने पर सच्चाई खुलती है—वे बेजान हैं, बिना खुशबू, बिना सांस, बिना आत्मा। ठीक यही हाल आज हमारे रिशतों, खुशियों और मुस्कानों का है। बाहर से सब कुछ चमकता, हरा-भरा, पर भीतर से सूखा, खोखला, और ठंडा। आज का ईंसान असली पौधों की तरह जैसे से करता है। असली पौधा मेहनत मांगता है—धूप की तपिश, बारिश की ठंडक, मिट्टी की गहराई। वह कभी पत्तियां गिराता है, कभी फूल मुरझाता है, कभी कीड़े खा जाते हैं। पर वहीं पौधा हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन देता है, और अपनी खुशबू से

मन को सुकून। उसी तरह, असली रिश्ते मेहनत मांगते हैं। उनमें आंसुओं की नमी, गुस्से की गर्मी, और धैर्य की मिट्टी चाहिए। वे कभी चोट देते हैं, कभी दर्द, पर वही रिश्ते आत्मा को जोड़ते हैं, सच्चा सुख देते हैं। नकली रिश्ते, जैसे नकली पौधे, बस सजावट हैं—दिखने में खूबसूरत, पर भीतर से बंजर और बेरंग। सोशल मीडिया नकलीपन का विशाल मेला बन चुका है। वहां हर चेहरा मुस्कुराता है, हर जिंदगी किसी चमकते सपने-सी लगती है। फिल्टरों से सजी तस्वीरें, छुट्टियों की झूठी कहानियां, और हर पल को रपरफेक्ट दिखाने की दौड़। मगर स्क्रीन के पीछे की हकीकत कड़वी है—अकेलापन, तनाव, और भीतर का सन्नाटा। लोग अपनी असल जिंदगी छिपाकर एक कृत्रिम दुनिया रचते हैं, जहां सब कुछ इस्टा-परफेक्ट होना चाहिए। यह नकली पौधे जैसा है—आंखों को भाता है, पर नकली फेफड़ों को सांस नहीं देता। हमारी खुशियां अब लाइक्स की गिनती में कैद हो गई हैं। दोस्ती अब यह नहीं कि कौन आपके दुख में साथ खड़ा है, बल्कि यह कि कौन आपकी पोस्ट पर सबसे ज्यादा तारीफ लिखता है।



यह दिखावा रिशतों तक ही नहीं, परिवार, त्यौहार, और अपनापन भी इसकी चपेट में है। पहले त्यौहार हंसी, गर्मजोशी, और साझा कहानियों से भरे होते थे। अब वे फोटोशूट के संच बन गए। लोग इस चिंता में डूबे हैं कि उनकी तस्वीर कितने लाइक्स बटोरेगी, न कि उस पल में कितना अपनापन बांटा गया। रिशतों की गहराई अब स्टेटस अपडेट, ग्रुप चैट, और इमोजी में सिमट गई। हम असली भावनाओं से कतराने लगे हैं। कोई दुख साझा करे, तो हम असहज हो जाते हैं। हमें बस वही चाहिए जो चमकदार हो, आसान हो, बिना मेहनत वाला—जैसे नकली पौधे, जो न पानी मांगते, न धूप, न देखभाल।

इस नकलीपन का अंजाम क्या? एक खोखलापन, जो चुपके-चुपके हमारी आत्मा को निगल रहा है। हम दुख, कमजोरी, या असफलता को गले लगाने से डरते हैं। हर पल चमकदार चाहिए, हर रिश्ता बेदाग। मगर जीवन का सच दर्द में छिपा है। जैसे असली पौधा बिना मिट्टी, धूप, और पानी के नहीं पनपता, वैसे ही रिश्ते बिना आंसुओं, धैर्य, और सच्चाई के नहीं फलते। असली रिश्ते चोट देते हैं, आंसू लाते हैं, पर वही हमें सिखाते हैं, जोड़ते हैं, और जीवंत बनाते हैं। नकली रिश्ते भले आसान हों, पर वे सिर्फ खालीपन बिखरते हैं।

उनकी चमक बिना गंध, बिना जीवन। वे घर सजा सकते हैं, पर हवा को शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही, नकली रिश्ते और झूठी खुशियां पलपल की चमक देती हैं, पर आत्मा को तृप्त नहीं करतीं। असली रिशतों में खामियां होती हैं, जैसे पौधे की पीली पत्तियां। पर वही खामियां उन्हें अनमोल बनाती हैं। असली मुस्कान वही, जो दिल से फूटे, जिसमें सच्चाई की महक हो।

अब वक्त है इस नकलीपन के जाल को तोड़ने का। हमें असली पौधों की तरह जीना होगा—धूप में तपकर, बारिश में भीगकर, मिट्टी में जड़े गहरे। रिशतों में सच्चाई लानी होगी, संवेदना बिखरनी होगी। मुस्कान तभी सजीव है, जब वह छल से नहीं, दिल की गहराई से उभरे। क्योंकि आखिर में वही पौधा जीवन देता है, जो धूप की तपिश, बारिश की नमी, और मिट्टी की महक से गुजरा हो। बाकी सब सजावट है—चमकदार, टिकाऊ, पर हमेशा बेजान। और ईंसान का जीवन सजावट से नहीं, सच्चाई से सांस लेता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

# राहुल गांधी की यात्रा, वोट चोरी और बिहार में एसआईआर

शम्स आगाज

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहां हर नागरिक को समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त है। "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत इस व्यवस्था की नींव है, और यही सिद्धांत देश को "विविधता में एकता" और जनशक्ति का वास्तविक स्वरूप बनाता है। लेकिन जब इसी मूलभूत अधिकार पर सवाल उठने लगे, और जब लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है या किसी छिपी प्रक्रिया के जरिए उसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, तो यह न सिर्फ एक व्यक्ति की बेवसी है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के डगमगाने का संकेत भी है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी हालिया यात्रा की शुरुआत बिहार से की है, जिसे "वोट अधिकार यात्रा" नाम दिया गया है। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर इस बुनियादी सवाल को फिर से जीवित करने की कोशिश है कि क्या हमारा वोट वास्तव में उनका ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे संविधान ने उसे माना है? यह यात्रा लोकतांत्रिक चेतना को जगाने की एक गंभीर पहल है जो आम नागरिकों को यह याद दिलाती है कि उनका वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं, बल्कि एक ताकत है। यदि वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, तो पूरे चुनावी तंत्र पर जनता का भरोसा डगमगा जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हर संस्था, हर नागरिक और हर राजनीतिक दल इस अधिकार की रक्षा के लिए सजग और सतर्क रहे। एक जीवंत लोकतंत्र की नींव जनता के विश्वास पर टिकी होती है, और जब यह विश्वास कमजोर पड़ता है, तो पूरा तंत्र खतरे में पड़ जाता है।

यह यात्रा बिहार की धरती पर ऐसे समय में शुरू हुई है जब राज्य में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। बिहार में चुनाव आयोग ने "स्पेशल इंस्टीट्यूट रिवीजन" यानी एसआईआर के नाम पर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिसका उद्देश्य यह बताया गया कि मतदाता सूची की सफाई और उसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन आंकड़ों ने जनता को चौंका दिया। रिपोर्टों के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख वोटों के नाम सूची से हटाने की बात सामने आई। चुनाव आयोग के अनुसार इनमें से अधिकांश untraceable या मृत हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और जन प्रतिनिधियों ने इसे बड़े पैमाने पर वोट चोरी और खास तबकों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश करार दिया। बिहार जैसे राज्य में, जहां गरीब, मजदूर, पिछड़े वर्ग और प्रवासी बड़ी संख्या में



उसका वोट बदलावा सकता है, जब उसे पता चलेगा कि उसका नाम ही सूची में मौजूद नहीं है, तो वह खुद को न केवल बेवस बल्कि लोकतंत्र से कटा हुआ महसूस करेगा।

दूसरा बड़ा असर उन सामाजिक वर्गों पर पड़ेगा जो पहले से ही हाशिए पर हैं। जैसे कि गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर जो लगातार सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि इन तबकों को वोटिंग प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया, तो उनकी आवाज राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ चुनावी चुप्पी नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का अभाव होगा।

इस स्थिति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि लोकतंत्र एक प्रतिनिधि व्यवस्था होने के बजाय कुछ खास वर्गों तक सीमित हो जाएगा, जहां शक्तिशाली की आवाज तो सुनी जाएगी लेकिन कमजोर वर्ग हमेशा दबाया जाएगा। यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा होगा।

बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य केवल यह नहीं कि वे रैलियां और सभाएं करें, बल्कि वे एक पूरा नक्शा बनाकर राज्य के 20 से अधिक जिलों में जनता से सीधे संपर्क कर रहे हैं। सासाराम से शुरू होकर यह कारवां गया, नरवादा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, भोजपुर होते हुए पटना में समाप्त होगा। इस यात्रा की कुल दूरी 1300 किलोमीटर से अधिक है और इसे 16 दिनों में पूरा किया जा रहा है। यह यात्रा एक प्रतीकात्मक संदेश है कि राहुल गांधी जनता के बीच जाकर उनसे सीधा संवाद करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि यह लोकतंत्र को बचाने की

लड़ाई है। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में बार-बार यह मुद्दा उठाया कि "अगर वोट ही सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?" उनका कहना है कि सरकारें जनता के वोट से बननी चाहिए, न कि ताकत और सरकारी मशीनों के खेल से। वे जनता को यह याद दिला रहे हैं कि यह देश अनगिनत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, और इसके संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की सरकार चुन सकें। लेकिन अगर यही बुनियादी अधिकार हमसे छीन लिया जाए या उसमें बाधा डाली जाए, तो यह न केवल संविधान से धोखा है, बल्कि उन लाखों शहीदों की कुर्बानियों का अपमान भी है जिन्होंने आजादी और जन-संप्रभुता के लिए अपनी जानें निछावर कीं। राहुल गांधी का मानना है कि लोकतंत्र केवल वोटिंग के दिन एक पन्नी डालने का नाम नहीं, बल्कि एक सतत संघर्ष है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी, जागरूकता और आवाज शामिल है। यदि वोट की पवित्रता को नष्ट किया गया, तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देगा और एक आम नागरिक की उम्मीद, भरोसा और अधिकार बुरी तरह प्रभावित होंगे।

यह बात भी याद रखने योग्य है कि बिहार की धरती हमेशा से बड़ी राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र रही है। जयप्रकाश नारायण की आंदोलन ने पूरे देश को बदल डाला था, और आज फिर उसी बिहार की मिट्टी से एक नई आवाज उठ रही है। वोट के अधिकार की यह यात्रा उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और जनता को यह अहसास दिला रही है कि उनका वोट ही उनकी असली ताकत है।

आज जब चुनावी सुधारों के नाम पर लाखों लोगों को वोट देने से वंचित करने की बातें हो रही हैं, जब बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर धांधली के आरोप लगा रही हैं, तब यह यात्रा एक जन जागरूकता अभियान बनकर उभरी है। यह जनता को झकझोर रही है कि अगर आज जनचेतना चुप्पी साध ली, तो कल आपकी आवाज हमेशा के लिए दब सकती है।

इसलिए कहा जा सकता है कि बिहार की यह यात्रा केवल एक राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। यह जनता को याद दिला रही है कि "एक व्यक्ति, एक वोट" केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारे संविधान का मूलभूत सिद्धांत है। राहुल गांधी और उनकी यात्रा यह संदेश दे रही है कि इस अधिकार की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर वोट चोरी हो गया, तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

# अजा एकादशी आज



अजा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। यह एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन साधक कठिन व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं, इस दिन दान और पुण्य का बड़ा महत्व है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत के साथ-साथ इस दिन देवी तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। वहीं, इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ परम कल्याणकारी माना गया है।

## कब मनाई जाती है अजा एकादशी?

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन अजा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अतः अजा एकादशी के लिए साधक न केवल आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बल्कि उनके निमित्त व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही देवी मां लक्ष्मी की कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

## अजा एकादशी शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, 18 अगस्त को शाम 05 बजकर 22 मिनट पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वहीं, 19 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 32 मिनट पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इस प्रकार 19 अगस्त को अजा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं, 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा।

## अजा एकादशी पारण समय

अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन साधक सुबह 05 बजकर 15 मिनट से लेकर 07 बजकर 49 मिनट के मध्य पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण अन्न और धन का दान कर किया

जाता है। इसके लिए द्वादशी तिथि पर स्नान-ध्यान के बाद भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोलें।

## अजा एकादशी व्रत का महत्व

मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करता है और व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति मिलती है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है।

## व्रत एवं पूजन विधि

\* व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।

\* पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

\* दीप, धूप, पुष्प, फल आदि से विधिवत पूजा करें।

\* विष्णु सहस्रनाम और श्रीकृष्ण भजन का पाठ अवश्य करें।

\* रात्रि में जागरण करें और अगले दिन नियत समय पर व्रत का पारण करें।

## अजा एकादशी पर दान का महत्व

हिन्दू धर्म शास्त्रों में दान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग सदियों से ही दान की महत्ता को समझते आ रहे हैं। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह-दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। हिन्दू धर्म में दान का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है कि दान का लाभ सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। लेकिन दान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है, जब दान सही समय, सही तरीके और सच्चे मन के साथ पात्र व्यक्ति को दिया गया हो।

# वंशलोचन

असली वंशलोचन खा लिया तो कभी नहीं लेगी कैरलायन की कमी..... इसके सेवन से गोपयन भी मिलता है। वंशलोचन के फायदे..... वंशलोचन एक प्राकृतिक कैरलायन है जो कि बांस के पेड़ से प्राप्त होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका उपयोग कई प्रकार की दवाओं बनाने में किया जाता है। वंशलोचन बांस के पेड़ में पाया जाता है। ये बांसों की गांठों में जम जाता है और बांस को काटकर इसके अंदर से निकाला जाता है। वंशलोचन दिखने में सफेद मिश्री के दाने जैसा होता है। इसका चूर्ण भी बाजार में उपलब्ध होता है लेकिन इसको खरीदते समय इसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें। कफ की समस्या के लिए..... 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आधा आम वंशलोचन के चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर देने से उनकी कफ की समस्या खत्म हो जाती है। अस्थमा पीड़ितों के लिए..... तिन लोगों को दले बनि अस्थमा की समस्या रहती है उनके लिए भी ये श्रव्यत लाभकारी सिद्ध होता है। 10-20 आम मात्रा में वंशलोचन और पीपल को अच्छी तरह से पीस लें और फिर इस चूर्ण की 1 आम मात्रा में एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह खातीं दे दें। जल्द ही अस्थमा की समस्या खत्म हो जाती है। गर्भावस्था की समस्या के लिए..... यदि किसी का गर्भ नहीं ठिक जाता है, अतः उन्हें आधा आम वंशलोचन को दूध या पानी के साथ खाना चाहिए। इससे गर्भावस्था की समस्या खत्म हो जाती है।

हे। गर्भावस्था के दौरान भी वंशलोचन का सेवन करने से बच्चे का स्वस्थ अस्थि होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करने से बच्चे का रंग स्वच्छिक गौरा हो जाता है। लय-पैरों में जलन के लिए..... तिन लोगों के लय या पैरों में लगातार जलन रहती है उन्हें 1 आम वंशलोचन में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना चाहिए। इससे जलन में आराम मिलता है और धीरे-धीरे ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाती है। गूँठ के छाँटों के लिए..... अक्षर बाहर का मोहन बाल्य करने से पेट में छाँटे पड़ जाते हैं। ऐसे में वंशलोचन का एक घूटकी चूर्ण लें, उसको शहद में मिलाकर छाँटों पर लगाए से ये ठीक हो जाते हैं। बच्चों के लिए..... यदि बच्चों को मिश्री खाने की आदत है तो वंशलोचन के चूर्ण में शहद मिलाकर इसकी गोलियां बना लें और प्रतिदिन दो गोलियां बच्चे को खिलाएं। बच्चों की मिश्री खाने की आदत छूट जाएगी। लीडियों में दर्द के लिए..... कमजोर लीडियों और सांसपेशियों के दर्द के लिए ये श्रव्यत लाभकारी है। अक्षर रात में पैरों में दर्द की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इसके लिए एक चम्मच वंशलोचन का चूर्ण लेकर उसे आधा बत्तास दूध के साथ पीने से आराम मिलता है। कब ना करें इस्तेमाल?..... पथरी की समस्या से जुड़े रहे लोगों को इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कैरलायन की अधिक मात्रा लेने पर हाइड्रोकेलेसी नामक बीमारी हो जाती है जिससे शरीर में गैरीयन फिर सिराट रहने लगता है, इसलिए अपने धिक्केरक के परामर्श पर ही इसका सेवन करें।

# अनेक बीमारियों की एक दवा वंशलोचन



# त्रिफला: कब्ज और अन्य रोगों के लिए लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि

आयुर्वेद में त्रिफला को एक शक्तिशाली औषधीय संयोजन माना गया है। यह न केवल कब्ज (Constipation) जैसी आम समस्या के समाधान में सहायक है, बल्कि आँखों, बालों और पाचन तंत्र की सेहत को भी बेहतर बनाता है। त्रिफला चूर्ण का सेवन हजारों वर्षों से भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा का हिस्सा रहा है।

## त्रिफला क्या है?

त्रिफला का शाब्दिक अर्थ है रतीन फलर। यह तीन आयुर्वेदिक औषधीय फलों - हरड़ (Haritaki), बहेड़ा (Bibhitaki) और आँवला (Amla) के सममिश्रण से तैयार किया जाता है। ये तीनों ही औषधियाँ शरीर को शुद्ध करने, पाचन शक्ति बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए जानी जाती हैं।

## त्रिफला के प्रमुख लाभ:

- कब्ज दूर करने में अत्यंत प्रभावकारी त्रिफला सबसे ज्यादा कब्ज के घरेलू आयुर्वेदिक उपाय के रूप में जाना जाता है। रात को सोने से पहले एक से दो चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट साफ रहता है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है।
- आँखों की रोशनी बढ़ाने में उपयोगी त्रिफला का बाहरी प्रयोग आँखों के लिए भी लाभकारी है। एक तांबे के लोटे में रात भर पानी में त्रिफला चूर्ण भिगो दें और सुबह उस पानी से आँखें धोने पर नेत्रज्योति बढ़ती है।
- बालों की मजबूती और असमय सफेदी में



फायदेमंद त्रिफला बालों की जड़ों को पोषण देता है। त्रिफला के बचे हुए लेप को सिर में लगाने से बाल मजबूत होते हैं और सफेदी की गति धीमी हो सकती है। पाचन तंत्र को सुधारता है त्रिफला पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है और आंतों को साफ करता है। इससे गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। शरीर को रोग-मुक्त और ऊर्जा से भरपूर बनाता है नियमित सेवन से शरीर में टॉक्सिन (विषैले तत्व) बाहर निकलते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। त्रिफला चूर्ण कैसे लें?

कब्ज के लिए: रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। मौसम के अनुसार विशेष प्रयोग: त्रिफला को सौंठ, सेंधा नमक, शहद, खंड, बुरा या लेडीपीपल के साथ भी ले सकते हैं। उपयोग के बाद ध्यान रखने योग्य बातें: त्रिफला चूर्ण लेने के बाद 1 घंटे तक दूध या चाय न पिएं। चूर्ण 4 महीने से अधिक पुराना न हो; पुराना चूर्ण कम प्रभावी हो सकता है। त्रिफला के प्रयोग में सावधानी: शुरुआत में दस्त जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, जो सामान्य है। त्रिफला का प्रयोग शरीर की प्रकृति (वात,

पित्त, कफ) के अनुसार करना चाहिए। बेहतर है कि सेवन से पहले किसी आयुर्वेदचार्य से परामर्श लें। त्रिफला चूर्ण घर पर कैसे तैयार करें? त्रिफला चूर्ण लेने के बाद 1 घंटे तक दूध या चाय न पिएं। चूर्ण 4 महीने से अधिक पुराना न हो; पुराना चूर्ण कम प्रभावी हो सकता है। त्रिफला के प्रयोग में सावधानी: शुरुआत में दस्त जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, जो सामान्य है। त्रिफला का प्रयोग शरीर की प्रकृति (वात,



## इनरवेली क्लब ऑफ वृंदावन दिव्य शक्ति ने किया डॉ. गोपाल चतुर्वेदी को सम्मानित



### परिवहन विशेष न्यून

**वृंदावन।** तराश मन्दिर क्षेत्र स्थित शारदा रेस्टोरेंट में समाज सेवा की अंतरराष्ट्रीय संस्था इनरवेली क्लब ऑफ वृंदावन दिव्य शक्ति के चौथे अधिवेशन समारोह में नगर के प्रख्यात साहित्यकार, आध्यात्मविद् व पत्रकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट का सम्मान किया गया। उन्हें यह सम्मान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला - 311 की अध्यक्ष डॉ. सुरजि कक्सेना ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र एवं उपहार भेंट करके दिया।

इस अवसर पर इनरवेली ऑफ वृंदावन दिव्य शक्ति की नव निर्वाचित अध्यक्ष निशा शर्मा, सचिव राधिका गोस्वामी, पी.डी.सी. शिक्षाविद् लता गोयल, विशिष्ट अतिथि जिजा का ISO मंजू पारीक, पूर्व अध्यक्ष संध्या शर्मा, रिचा वर्मा, नवीन तोडकर, गीता गोस्वामी, रेनु, नीरजा शर्मा, निर्जला, निर्मल, श्री साहू, सुनीता पचार, विनीता द्विवेदी, अंजु अग्रवाल, देवेन्द्र शर्मा, डॉ. राधाकांत शर्मा, निशा शर्मा आदि की उपस्थिति विशेष रही।

## बेटियों के सम्मान की गूँज: आदिवासी समाज में नई सुबह

[धरती और धरोहर पर बेटियों का हक: एक न्यायिक क्रांति]

एक बेटी की पुकार, सदियों पुरानी परंपराओं की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत, और एक ऐतिहासिक फैसले की गूँज—यह कहानी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के मानी गाँव से शुरू होती है, लेकिन इसकी लहरें भारत के हर आदिवासी समुदाय तक पहुँच रही हैं। धड़या, एक साधारण आदिवासी महिला, जिसकी आवाज़ ने न सिर्फ परिवार की चुप्पी तोड़ी, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत को भी झकझोर दिया। सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला, जो कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस बेटी के दिल में उकेरा गया, जिसे कभी उसके हक से वंचित किया गया। यह फैसला सिर्फ कानूनी जीत नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, जो आदिवासी बेटियों के लिए नई सुबह का वादा करता है। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या यह फैसला रूढ़ियों के तूफान में खड़ा रह पाएगा, या यह एक नई जंग को जन्म देगा?

धड़या की कहानी तब शुरू हुई, जब उनके पिता भज्जु गौड़ ने अपनी जमीन अपने पाँच बेटों में बाँट दी, और परंपराओं के नाम पर अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथ छोड़ दिया। उनके बेटे रामचरण ने माँ के हक के लिए आवाज़ बुलंद की। वे कहते हैं, 1993 में हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मगर हमें बताया गया कि आदिवासी समाज में बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। परंपराओं की आड़ में हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई। सूरजपुर की स्थानीय अदालत और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी यही रुख अपनाया। फिर भी, धड़या का परिवार डटा रहा। 132 साल की लंबी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जो न सिर्फ धड़या के हक को मान्यता देता है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज को एक नई दिशा दिखाता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लिंग के आधार पर संपत्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। कोर्ट ने सवाल उठाया— क्या कोई ऐसा रिवाज है जो आदिवासी बेटियों को उनके हक से वंचित करता हो?



कोई भी पक्ष ऐसा कोई प्रामाणिक रिवाज सिद्ध नहीं कर सकता। कोर्ट ने जोर देकर कहा, रिवाज समय के साथ बदलते हैं। यदि कोई रिवाज भेदभाव को बढ़ावा देता है, तो उसे बदलना अनिवार्य है। यह फैसला महज कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं, बल्कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 8.6% आबादी, यानी 10.42 करोड़ आदिवासियों के लिए एक नई राह खोलता है, जिनमें से अधिकांश समुदायों में बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक शक्तिशाली तूफान है, जो आदिवासी समाज की गहरी जड़ों में जमी रूढ़ियों को उखाड़ने की ताकत रखता है। 12005 का हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देता है, लेकिन आदिवासी समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा गया, जिसके चलते आदिवासी बेटियाँ आज भी अपने पिता की संपत्ति से वंचित हैं। यह फैसला उस भेदभाव को मिटाने का एक क्रांतिकारी कदम है। जब आदिवासी समाज ने खान-पान, पहनावे और जीवनशैली में बदलाव को गले लगाया है, तो फिर बेटियों

को उनके जन्मसिद्ध हक से क्यों वंचित रखा जाए? यह समय परिवर्तन का है, और इसे पूरे दिल से अपनाने का वक्त आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हर किसी के लिए उत्सव का कारण नहीं है। कुछ का मानना है कि यह फैसला घर-घर में विवाद की चिंगारी सुलागा सकता है। उनके अनुसार, परंपराएँ बेटियों को सरसाल में सम्मान और संपत्ति का पूरा हक देती हैं, लेकिन पिता की संपत्ति में हिस्सा देने का रिवाज नहीं रहा। चिंता यह भी है कि यह फैसला समाज की नींव को हिला सकता है, क्योंकि बाहरी लोग संपत्ति के लालच में आदिवासी बेटियों से विवाह कर सकते हैं, जिससे आदिवासी जमीनों पर खतरा मँडरा सकता है, जो केवल समुदाय के भीतर ही हस्तान्तरित हो सकती हैं।

इसके जवाब में कुछ युवा आवाज़ें उभरती हैं, जो कहती हैं कि संभावित खतरों के डर से बेटियों को उनके हक से वंचित करना अन्याय है। अगर जमीन के दुरुपयोग का भय है, तो ऐसे कानून बनाए जाएँ जो यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति समुदाय के भीतर ही रहे। वहीं, दूसरी ओर कुछ इसे क्रांति का प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि देश की

अन्य बेटियों को मिलने वाला हक आदिवासी बेटियों का भी अधिकार है। यह फैसला लाखों महिलाओं के लिए आशा की किरण है, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं की दीवारों को तोड़ने का साहस जुटा रही हैं।

धड़या की यह लड़ाई अब केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हर उस बेटी की हुंकार बन गई है, जिसे परंपराओं की जंजीरों ने जकड़ रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कानूनी तर्कों की बुनियाद रखी, बल्कि न्याय, समानता और विवेक की लौ को भी प्रज्वलित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भेदभाव को पोषित करने वाले रिवाज संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन हैं, जो लिंग, धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेद को नकारता है। यह फैसला उन 730 आदिवासी समुदायों के लिए एक नए युग का सूत्रपात हो सकता है, जहाँ बेटियों को उनके पैतृक हक से वंचित रखा जाता रहा है।

मगर सवाल अब भी कायम है—क्या यह फैसला धरतल पर अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएगा? आदिवासी समाज में दो स्पष्ट धड़े उभर रहे हैं: एक इसे प्रांति का प्रतीक मानता है, तो दूसरा इसे अपनी सांस्कृतिक अस्तित्वा पर आघात के रूप में देखता है। धड़या के पोते की सादगी भरी बात, "हमने तो सिर्फ अपनी दादी के हक की लड़ाई लड़ी, और अदालत ने भी यही कहा," साधारण लग सकती है, मगर इसके पीछे छिपी है वह अदम्य हिम्मत, जो सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देती है।

यह फैसला एक नई बहस का आगाज है—यह महज जमीन और संपत्ति का मसला नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान, उनकी पहचान और उनके जन्मसिद्ध अधिकारों की लड़ाई है। यह एक ऐसी जंग है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करती है। क्या आदिवासी बेटियाँ अपनी जमीन पर अपना हक कायम कर पाएंगी? या परंपराओं की ऊँची दीवारें इस बदलाव को थाम लेंगी? समय ही इसका जवाब देगा, पर धड़या की पुकारें एक नई सत्य को रेखांकित कर दिया—बदलाव की बयार बह चुकी है, और अब इसे कोई रोक नहीं सकता।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

## जिन स्वाद चखें या ब्रज रज कौ, बैकुंठ के स्वाद कू फीको बतावें

या ब्रज को वास मिले विनकू, जो नित्य किशोरी कौ ध्यान लगावें, जो गिरि गोवर्धन श्रीयमुना और ब्रज रज कू नित शीशा नावें। या ब्रज की रज के कण-कण कू, ब्रह्मा दिक सुर नर मुनि ललचावें, जिन स्वाद चखें या ब्रज रज कौ, बैकुंठ के स्वाद कू फीको बतावें।

(दो) श्रीराधा कृष्ण रट्टि दिन रैन, नहि दूजो कोई नाम सुहावें, मेरी प्रीत लगी मनमोहन ते, जाकि मोहनी मूरत मैं समावें। मेरी छीन लियो सुख चैन सबहि, अब कोई कंधा धर-धरावै, भई बावरी आयके ब्रज, जहां माखन चोर त्रिलोकी कहावै।।

**डॉ. गोपाल चतुर्वेदी**  
(प्रख्यात साहित्यकार एवं आध्यात्मिक पत्रकार) छटौंठका रोड़, वृंदावन

## आचार्य पीठ में 51 वां अष्ट-दिवसीय श्रीमद्भागवत जयंती व श्रीराधा जन्म महोत्सव 31 अगस्त से

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

**वृंदावन।** सेवाकुंज-इमलीतला क्षेत्र स्थित श्रीआचार्य पीठ में श्रीमद्भागवत सेवा संस्थान (रजि.) के तत्वावधान में अष्टदिवसीय श्रीमद्भागवत जयंती एवं श्रीराधा जन्म महोत्सव आचार्य पीठाधीश्वर भागवत भूषण स्वामी यदुनंदनाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य 31 अगस्त से 07 सितंबर 2025 पर्यन्त अत्यन्त श्रद्धा व धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है।

जानकारी देते हुए डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि बैकुंठवासी स्वामी ब्रजसमाणाचार्य महाराज की पावन स्मृति में एवं आचार्य पीठाधीश्वर रामानुज सम्प्रदायाचार्य, बैकुंठवासी स्वामी किशोररामणाचार्य महाराज की सद्परंपरा से आयोजित होने वाले इस अष्टदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 31 अगस्त को प्रातः 7 बजे गणपति पूजन, कलश स्थापना व प्रियाजी का महाभिषेक विधेयार्चन के साथ



होगा तत्पश्चात् 31 अगस्त से 07 सितंबर तक नित्यप्रति प्रातः 7 से 12 बजे तक वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा श्रीमद्भागवत मूल पारायण पाठ किया जायेगा। तत्पश्चात् अपराह्न 4 बजे से सायं 7 बजे तक आचार्य पीठ के युवराज वेदान्त आचार्य महाराज अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा देश-विदेश से आए समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण कराएंगे। इसके अलावा इस आयोजन में सत्यनारायण भगवान की तुलसी अर्चना, विष्णु सहस्रनाम पाठ एवं

श्रीमद्भागवतगीता पाठ आदि के अनुष्ठान भी संपन्न होंगे।

डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि 07 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे से बधाई गायन एवं वृद्ध संत-विद्वत् सम्मेलन आयोजित किया गया है। श्रीरामानुज सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज की अध्यक्षता में आयोजित वृद्ध सन्त सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में जगद्गुरु कार्णिक स्वामी गुरु शरणाणंद महाराज के अलावा देश के कई प्रख्यात संत, विद्वान और धर्माचार्य आदि भाग लेंगे।

## समाजसेवी ओपी भाटिया ने पांडु नगर में कराया राम जानकी मंदिर का भव्य निर्माण

सुनील बाजपेई

**कानपुर।** इस महानगर में धर्म और अध्यात्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भगवान में आस्था रखने वाले लोग भव्य मंदिरों का भी निर्माण कराने में पीछे नहीं हैं। ऐसे ही राम जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण यहां पांडव नगर के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में भी किया गया है। श्री राम जानकी का यह भव्य मंदिर भक्तों की आस्था का भी केंद्र बना हुआ है, जहां पर वह प्रतिदिन पूजा, अर्चना करने भी आते हैं।

हर किसी के सूख-दुख में सदैव खड़े होने वाले, समाजसेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल भाटिया द्वारा निर्मित कराए गए इस भव्य राम जानकी मंदिर में भगवान श्री सीता राम और लक्ष्मण के साथ ही राधा कृष्ण, भगवान शंकर और पार्वती के साथ मां दुर्गा अदि की भी भव्य मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं।

इस बार के श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भी श्री रामजानकी मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर



श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी श्रद्धा के साथ बहुत उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया। जैसे ही रात को 12:00 बजे इस भव्य राम जानकी मंदिर में घंटा-घड़ियाल और शंखनाद के बीच कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हुए भक्तों ने लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया।

इस दौरान आयोजित भजन संस्था में प्रसिद्ध भजन गायक कलाकारों ने मनमोहक

प्रस्तुतियों ने भक्तों को झूमने पर भी मजबूर कर दिया। इस अवसर पर सतीश कुमार चड्ढा, मारुत सेठ, ब्रिजकिशोर गुप्त, जयदीप दुआ, हिमांशु तांगड़ी, गगन पांडेय, प्रदीप दीक्षित, अविनाश त्रिपाठी, प्रियंका, आशा भाटिया समेत, आर-बी.एस. चौहान, आर.के. श्रीवास्तव, मनोज कुमार गुप्ता, मानसी जयसवाल प्रियंका, रुसिया, नीलम और उषा त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।

## भारत के डिजिटल स्वाधीनता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की चर्चा जोरों पर! क्या वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत द्वारा एक क्रांतिकारी बदलाव देने की रणनीति अंतिम दौर में पहुंची?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गौदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर आज सूचना व प्रौद्योगिकी का युग चल पड़ा है, मानव सभ्यता का इतिहास यह बताता है कि जो भी राष्ट्र ज्ञान, सूचना और तकनीक पर नियंत्रण स्थापित करता है, वही भविष्य की दिशा तय करता है। जो हम वर्तमान परिपेक्ष में चल रहे वैश्विक युद्धों, टैरिफ रूपांतर का डंडा व हर ओर मलाई की चादर अपनी तरफ खींचने की प्रथा जो चल पड़ी है उस परिपेक्ष में, मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावानी गौदिया महाराष्ट्र ऐसा मानता हूँ कि 20 वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने दुनियाँ का चेहरा बदला, तो 21 वीं सदी में सूचना और डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। इस क्रांति के केंद्र में आज तक गूगल, फेसबुक, अमेज़न और क्रोम जैसी विदेशी कंपनियाँ रही हैं। लेकिन अब यूट्यूब सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर चर्चा जोरों से चल रही है कि भारत ने अपना स्वदेशी सच इंजन लॉन्च कर दुनियाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था अब अपने डिजिटल भविष्य का नेतृत्व खुद करेगी। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता का और निर्णायक कदम भी होगा। हालाँकि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म सहित गवर्नमेंट के अन्य प्लेटफॉर्म पर सच करने पर अधिकृत रूप से भारत द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है ऐसा मैंने पाया। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 185 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट यूजर और 55 करोड़ से अधिक सोशल मीडिया उपयोक्ता भारत को वैश्विक डिजिटल बाजार का केंद्र बनाते हैं। लेकिन इस विशाल जनसंख्या के डेटा और सूचना पर दशकों से विदेशी कंपनियों का वर्चस्व रहा है। गूगल 97 प्रतिशत सच इंजन मार्केट पर कब्जा रखता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर राज करते हैं, और क्रोम भारत का

सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र है। यह स्थिति केवल व्यापारिक प्रयुक्त तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता पर भी प्रश्न खड़ा करती रही। उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों, रुचियों और व्यवहार का विशाल डेटा विदेशी सर्वरों पर जमा होता रहा, जिससे न केवल अरबों डॉलर का मुनाफ़ा विदेश जाता रहा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से भी खतरा पैदा हुए। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार और निजी आईटी कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा सच इंजन विकसित करना ज़रूरी हो गया है जो भारतीय ज़रूरतों और भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो। जिसमें इस तरह की तकनीकी हो कि वह भारत की 22 अधिकृत भाषाओं में भी रूपांतरित होकर के परफॉर्मंस करे। यह नया सच इंजन आधुनिक तकनीक का प्रतीक होना चाहिए। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), बिग डेटा एनालिटिक्स और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) जैसी तकनीकों का समावेश किया जाता है। हालाँकि इन सभी गुणों से सुसज्जित सच इंजन भारत में लॉन्च हो गया है ऐसी चर्चा यूट्यूब पर चल रही है परंतु अधिकृत रूप से भारत सरकार द्वारा सूचना की जानकारी नहीं आई है। चूँकि 21 वीं सदी में डेटा को रचना तैलर कहा जाता है। गूगल और फेसबुक का साम्राज्य इसी डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था पर खड़ा है। वे उपयोगकर्ताओं की हर गतिविधि, क्या खोजा, क्या खरीदा, किससे जुड़ा, कहाँ गया, सबका रिकॉर्ड रखते हैं और उसे विज्ञापन कंपनियों को बेचते हैं। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत के डिजिटल स्वाधीनता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की चर्चा जोरों पर!

साथियों बात अगर हम भारत के लिए ऐसे सच इंजन की ज़रूरत की करें तो भारत की 22 अधिकृत भाषाओं को कवर करेंगे, उसमें दूसरी तकनीकी होनी चाहिए (1) भारतीय भाषाओं का समर्थन—यह इंजन 22 आधिकारिक भारतीय

भाषाओं और 50 से अधिक बोलियों में खोज परिणाम प्रदान कर सके। यदि कोई उपयोगकर्ता भोजपुरी में कोई सवाल करता है, तो उसे भोजपुरी में ही प्रासंगिक परिणाम मिलेंगे। (2) लोकलाइव्ड एल्गोरिथम: गूगल की तरह केवल अंग्रेज़ी या वैश्विक पेटेंट पर आधारित न होकर यह सच इंजन भारतीय संस्कृति, भूगोल और समाज को ध्यान में रखकर जानकारी खोजता है। (3) तेज़ और सटीक परिणाम: एआई आधारित एल्गोरिथम उपयोगकर्ता के सच पेटेंट को समझकर व्यक्तिगत और सटीक जानकारी प्रदान करता है, लेकिन डेटा का दुरुपयोग किए बिना। (4) वॉइस सच की सुविधा: भारत जैसे देश में जहाँ कई लोग टाइपिंग की बजाय बोलकर जानकारी खोजना पसंद करते हैं, वहाँ यह इंजन वॉइस सच को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में सपोर्ट करता है। (5) तकनीकी संरचना: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय भाषाओं का संगम हो।

साथियों बात अगर हम भारत का यह सच इंजन डेटा भारत में, भारत के लिए की नीति पर आधारित होने की करें तो, (1) भारतीय सर्वर और डेटा सेंटर: सभी उपयोगकर्ताओं का डेटा देश के भीतर सुरक्षित सर्वरों में संग्रहित हो। (2) डेटा गोपनीयता कानून: यह इंजन भारत के नए रजिस्ट्रार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालन करता हो, जिससे नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा विदेश नहीं जाएगा। (3) निजी जानकारी का नियंत्रण: उपयोगकर्ता चाहें तो अपनी गतिविधियों को पूरी तरह निजी रख सकता हो। कोई भी विज्ञापनदाता बिना अनुमति डेटा तक नहीं पहुँच सकता हो। इससे भारत में केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में भी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा। जो रेखांकित करने वाली बात होगी।

साथियों बात अगर हम इस नए सच इंजन से स्टार्टअप और ई-कॉमर्स व शिक्षा, शोध और ज्ञान-परंपरा के लिए नया युग की करें तो, (1) भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं, लेकिन



उन्हें डिजिटल विज्ञापन और ग्राहक तक पहुँचने के लिए गूगल-फेसबुक को भारी रकम चुकाने पड़ती थी। यह नया सच इंजन उन्हें, कम लागत पर स्थानीय विज्ञापन सुविधा देगा। (हम मीड इन इंडियाए उत्यादों को प्राथमिकता देगा। छोटे दुकानदारों और ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था में करोड़ों नए अवसर पैदा होंगे। (2) शिक्षा, शोध और ज्ञान-परंपरा-भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा रही है, लेकिन गूगल पर भारतीय स्रोतों को अक्सर प्राथमिकता नहीं मिलती। इस सच इंजन ने इसे सुधारने का प्रयास किया जायेगा। भारतीय विश्वविद्यालयों और शोध पत्रों को प्राथमिकता: आईआईटी, आईआईएससी, जेएनयू और अन्य संस्थानों के शोधपत्र अब नज़र आसानी से उपलब्ध होंगे। डिजिटल पुस्तकालय का एकीकरण: भारतीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ और साहित्य भी खोज परिणामों में

शामिल होंगे। छात्रों और शोधार्थियों को प्रामाणिक जानकारी: अब उन्हें विदेशी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

साथियों बात अगर हम, गूगल और फेसबुक को सीधी चुनौती, वैश्विक प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक महत्व एवं चुनौतियाँ और भविष्य की चर्चा करें, अब तक गूगल का नाम ही रसखर का पर्याय माना जाता है। लेकिन भारत का नया सच इंजन इस एकाधिकार को तोड़ने की क्षमता रखता है तो (1) विज्ञापन बाजार: भारतीय व्यापारी तब गूगल एडवर्ड्स या फेसबुक एड्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्हें सस्ता और स्थानीय विकल्प मिलेगा। (2) कंटेन्ट प्राथमिकता: भारतीय वेबसाइट्स और स्थानीय कंटेन्ट को सच परिणामों में प्राथमिकता दी जाएगी, जो गूगल अक्सर नज़रअंदाज़ करता है। (3) पारदर्शिता: गूगल और फेसबुक के एल्गोरिथम अक्सर रहस्यमय रहते हैं, लेकिन भारत का इंजन अपने एल्गोरिथम और

विज्ञापन प्रणाली में पारदर्शिता रखेगा। (3) इसका सीधा असर वैश्विक डिजिटल राजनीति पर पड़ेगा। अमेरिकी को बड़ी कंपनियों भारत के इस कदम को अपनी आर्थिक ताकत पर हमला मानेगी और कूटनीतिक दबाव बना सकती है। वैश्विक प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक महत्व-भारत का यह कदम केवल तकनीकी या आर्थिक मामला नहीं है, यह भू-राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका-गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, वे भारत की इस पहल का कड़ा विरोध कर सकती हैं। चीन और रूस-चीन पहले ही अपने बाईडू और रूस अपने यंडेक्स सच इंजन के माध्यम से डिजिटल स्वायत्तता हासिल कर चुके हैं। वे भारत का स्वागत करेंगे और सहयोग की पेशकश कर सकते हैं। युरोपीय संघ-जो पहले से डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाता रहा है, वह भारत की इस पहल का समर्थन कर सकता है। इस प्रकार भारत का यह कदम वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस में शक्ति संतुलन को बदल देगा। चुनौतियाँ और भविष्य- (1) किसी भी बड़े कदम की तरह इस पहल के सामने भी चुनौतियाँ होंगी। (2) गूगल जैसी कंपनियों के पास अरबों डॉलर का अनुसंधान बजट है। (3) उपयोगकर्ताओं की आदत बदलना कठिन है, क्योंकि गूगल का नाम ही रसखर का पर्याय बन चुका है। (4) साइबर हमलों और हैकिंग से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आर्टिकल के अंत में बताते चर्चूँकि, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारी समर्थन और जनता का विश्वास इन चुनौतियों को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएँगे कि भारत के डिजिटल स्वाधीनता और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने की चर्चा जोरों पर। क्या वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत द्वारा एक क्रांतिकारी बदलाव देने की रणनीति अंतिम दौर में पहुंची? 20वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने दुनियाँ को चेहरा बदला तो 21 वीं सदी में सूचना व डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को ही बदल दिया?

# अगर ट्रैफिक जाम 12 घंटे तर रहे, तो क्यों दें टोल? टोल वसूली पर NHAI की याचिका पर SC का फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआई से पूछा कि 65 किलोमीटर के राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगने पर 150 रुपये का टोल क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के टोल निलंबन आदेश के खिलाफ एनएचआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सड़क की खराब स्थिति और यातायात जाम पर चिंता जताई।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHA) से पूछा कि अगर 65 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो किसी यात्री को 150 रुपये के टोल का भुगतान करने के लिए क्यों कहा जाए? प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंबारिका को पीठ ने यह टिप्पणी NHA और टोल वसूलने का अधिकार रखने वाली कंपनी गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। याचिका में त्रिचूर (केरल) के पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल संग्रह को निलंबित करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

**मामले पर CJJI ने क्या कहा?**  
सोमवार को, अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं, तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए? जिस सड़क पर एक घंटे



का समय लगने की उम्मीद है, उसमें 11 घंटे और लगते हैं और यात्रियों को टोल भी देना पड़ता है। सुनवाई के दौरान पीठ को सप्ताहांत में इस मार्ग पर लगभग 12 घंटे तक यातायात जाम रहने के बारे में बताया गया। हाई कोर्ट ने छह अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग 544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की खराब स्थिति और निर्माण कार्यों के कारण उत्पन्न गंभीर यातायात जाम के आधार पर टोल निलंबन का आदेश दिया

था। **NHAI ने कोर्ट में दी यह दलील**  
NHA की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि हम हर पहलु पर विचार करेंगे। जस्टिस चंद्रन ने कहा कि जिस दुर्घटना के कारण यह सड़क अवरुद्ध हुई, वह कोई दैवीय कृत्य नहीं था, जैसा कि मेहता ने तर्क दिया। एक ट्रक के

गड्डे में गिर जाने के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। मेहता ने कहा कि जहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा था, वहां NHAI ने सर्विस रोड उपलब्ध कराई थी। लेकिन, उन्होंने स्वीकार किया कि मानसून की वर्षा ने निर्माण कार्य की गति धीमी कर दी है। **ठेकेदारों को दोषी ठहराया**  
उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जिसमें टोल को निलंबित करने के बजाय

आनुपातिक रूप से कम करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, जस्टिस चंद्रन ने टिप्पणी की कि 12 घंटे की यह कठिन परीक्षा किसी भी आनुपातिक समायोजन से नहीं अधिक थी। वहीं, गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि उसने 60 किलोमीटर का क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखा है। उसने सर्विस रोड की रुकावटों के लिए पीएसजी ईजीनियरिंग सहित तीसरे पक्ष के ठेकेदारों को दोषी ठहराया।

## टोयोटा कैमरी Sprint Edition लॉन्च; 48.50 लाख कीमत, स्पोर्टी लुक और नए कलर मिले

टोयोटा मोटर्स ने भारत में नई Toyota Camry Sprint Edition लॉन्च किया है जिसमें कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। यह फुली-लोडेड वैरिएंट पर आधारित है और इसकी कीमत 48.5 लाख रुपये से 50 हजार रुपये ज्यादा है। इसे पांच कलर ऑप्शन में पेश किया गया है जिसमें मेट ब्लैक फिनिश शामिल है। इसमें स्पोर्टी लुक के लिए ब्लैक-आउट टेप मेट ब्लैक अलॉय व्हील्स और स्पोर्ट्स किट भी हैं।

**नई दिल्ली।** टोयोटा मोटर्स ने भारत में नई Toyota Camry को साल 2024 के आखिर में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका स्पेशल एडिशन लॉन्च की है। इसके स्पेशल एडिशन का नाम Toyota Camry Sprint Edition है। इसे कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव के साथ लेकर आया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

**डिजाइन और कीमत:** यह फुली-लोडेड वैरिएंट पर बेस्ड है। भारत में 2025 Toyota Camry को 48.5 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है। इसके Sprint Edition की कीमत 50 हजार रुपये ज्यादा है। इसे पांच शासनदार कलर ऑप्शन में लेकर आया गया है, जो इमोशनल रेड और मेट ब्लैक, प्लैटिनम व्हाइट पल और मेट ब्लैक, सीमेट ग्रे और मेट ब्लैक, प्रीशियस मेटल और मेट ब्लैक, डार्क ब्लू मेटैलिक और मेट ब्लैक है। इसके मेट ब्लैक को सभी पांच कलर के साथ पेश किया जाता है। Camry Sprint Edition के बोनट, रूफ और ट्रंक पर लमा एक ब्लैक-आउट टेप दिया गया है। इसमें स्पोर्टी लुक देने वाले मेट ब्लैक अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। इसे एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स किट दिया जा रहा है, जिसमें फ्रंट बॉडी किट,



रियर बॉडी किट और एक रियर स्पोर्ट्स शिफ्ट शामिल है। इसके रूफ, बोनट और ट्रंक पर ब्लैक टेप दी गई है। इसमें डोर वॉर्निंग लैप्स और एंब्रिडज्ड लाइटिंग भी हैं।

**इंजन और फीचर्स:** इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें, तो इसमें स्टैंडर्ड मॉडल के समान ही सुविधाएं दी गई हैं। यह 9 एयरबैग, एक व्यापक ADAS सूट, 360-डिग्री कैमरे, वॉलटेज फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-तरफा पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, HUD समेत और भी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है। इसमें 2.5L हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 230 PS की पावर जनरेट करता है। इसमें Eco, Normal और Sports ड्राइविंग मोड भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि उनकी यह कार 25.49 किमी/लीटर तक का माइलने देती है। इसमें सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम है, न कि प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम।

## रॉयल इनफील्ड फ्लाइंग Flea C6 का टीजर जारी, लेह में हुई टेस्टिंग, जानें क्या है खास?

Royal Enfield ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Flying Flea C6 का वीडियो जारी किया है जिसमें इसे लेह के मुश्किल रास्तों पर टेस्ट करते हुए दिखाया गया है। टेस्टिंग में खड़ी चढ़ाई और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बाइक का प्रदर्शन बेहतर रहा। Flying Flea C6 में रेडो स्टाइलिंग के साथ आधुनिक फीचर्स हैं और इसमें 125cc या 150cc की बाइक के बराबर प्रदर्शन मिलने की उम्मीद है।



करते हुए राइड एंड टेस्टेड सीरीज कहा है। आइए जानते हैं कि Royal Enfield Flying Flea C6 के टीजर में क्या कुछ खास देखने के लिए मिला है?

**लेह के मुश्किल रास्तों पर हुई टेस्टिंग**  
Royal Enfield Flying Flea C6 के टीजर में देखने के लिए मिल रहा है कि इस लेह

के मुश्किल रास्तों पर टेस्ट किया जा रहा है। इस टेस्टिंग के दौरान कुछ खड़ी चढ़ाई, ढलान, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर इसे चलाया जा रहा है। वीडियो में इसकी टेस्टिंग केवल राइडर और पीलियन दोनों के साथ अलग-अलग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक में कई राइड मोड का इस्तेमाल करके भी टेस्ट किया जा रहा है।

टेस्टिंग के दौरान इसके परणाम बेहतर देखने के लिए मिल रहे हैं। Royal Enfield Himalayan Electric की एक झलक भी देखने के लिए मिली है, जो बताता है कि कंपनी इन दोनों इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्टिंग की जा रही है।

**डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स**  
इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 में Royal Enfield की सिग्नेचर रेडो स्टाइलिंग को एक आधुनिक स्पर्श दिया गया है। बाइक को एक बेल्ट ड्राइव के साथ एक मिड-माउंटेड मोटर मिलती है जिससे 125cc या 150cc की बाइक के बराबर प्रदर्शन मिलने की उम्मीद है। इसमें एल्यूमीनियम चेसिस के साथ-साथ गार्ड-स्टाइल फ्रंट फोक और दोनों सिरों पर 18-इंच के अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गोल्ड LED हेडलाइट, सिल्वर सीटिंग के साथ ही और भी कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं।

## "बक्से में सहेजी धूप"

जब कन्या जरा-सी सयानी हुई,  
गली-गली उसकी आहत फैंल  
जाती—  
जैसे कचनार की पहली कली  
अचानक सबकी नजर में आ गई हो।

पलंग के नीचे बक्सा—  
धीरे-धीरे भरता  
सिर्फ वस्त्रों से नहीं,  
बल्कि समय के ठहरे स्पर्श से,  
और रिशतों की अनदेखी ऊष्मा से।

बिटिया हर गलती से पहले ठिठक  
जाती—  
उरती कि कहीं कोई न कह दे,  
रइसकी अम्मा ने कुछ नहीं  
सिखाया।

अम्मा की आँखों में चिंता और ममता  
की छाया—  
रसीख ले बिटिया  
ससुराल की चौखट पार करते ही  
तेरे हाथों का हुनर ही तेरी पहचान  
होगा।

भभिषाँ पान-मसाले की महक लिए  
चटाई गुंथ देती,  
चाची टोकरी में अपना आशीष रख  
देती,  
और पुराने रूमालों पर फूल टॉकते  
हाथ

शादी तब एक अकेले घर का उत्सव  
नहीं थी,  
वो पूरे मोहल्ले की साँझी रचना थी।  
हर गली, हर आँगन अपनी साँस  
उसमें जोड़ता था।

तब पाठशाला रसोई में थी,  
और पुस्तकें मीसी-बुआ के हाथ।  
छत पर धूप के गलीचे बिछाकर  
क्रोशिया के फंदों में दिन उलझते,  
रेसमी धागों में सपने बुनते,  
ब्लॉक प्रिंट की चादरों में रंग  
उतरते—  
मानो बिटिया की किस्मत रंगीन की  
जा रही हो।

मानो मौन में कह देते—  
रतू खाली हाथ नहीं जा रही,  
बिटिया।  
मौसी की धीमी फुसफुसाहट—  
खोलना जैसे आस की बूँद गिरती  
है,  
और सास के सामने मुसुराना—  
जैसे शरद चाँदनी खिड़की पर  
उतरती है।

अब वो बक्से नहीं,  
ना वो छतें, ना वो दोपहरें।  
पर स्मृति की साँझ में  
अब भी खड़ी है एक बिटिया—  
माथे पर बिंदी, आँखों में झिझक,  
और मन में पूरे मोहल्ले की अनकही  
प्रार्थनाएँ।  
--- डॉ. प्रियंका सौरभ

## दलित बोलें - कांग्रेस का वोट चोरी का पुराना इतिहास, कांग्रेस वोट चोरी की जनक - डॉ. बाबा साहेब को ऐसे ही हराया था चुनाव

कांग्रेस जब भी कमजोर हुई, संविधान के नाम दलितों को गुमराह करना शुरू किया कांग्रेस चला रही घुसपैठियों को भारत का वोटर् बनाने संविधान बदलने का विदेशी एजेंडा, अब नहीं चलेगा  
वो वोट चोरी से पटेल की जगह खुद प्रधानमंत्री बने, और वो गांधी सर नेम चुराकर प्रधानमंत्री बनी  
एवं 12जून 1975 को प्रयागराज अदालत से वोट चोरी के आरोप में सजा पाकर प्रेस से बचने के लिए साडी के पल्लू से मुँह छुपाकर निकलना पड़ा  
और वो सिख दंगों की आड़ में वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने - आज उस खानदान का युवा चिराग दूसरे को चोर बोल रहा है।--  
इनके लिए ही बनी एक प्रशिद्ध कहावत है - रनाच न जाने आंगन टेढ़ा  
अर्थ - अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए बहाने बनाना  
उदाहरण- बिना कार्यकर्ताओं और संघटन की तैयारी के चुनाव में सिर्फ एक वर्ग के वोटों के सहारे उतरना और वार वार हारने पर कभी EVM - तो कभी चुनाव आयोग पर को कोसना और जनता को भड़काने के लिए फ्रेंक न्यूज फैलाना।



तहत चुनाव हराया था। आज कांग्रेस वोट चोरी को लेकर हो-हल्ला मचा रही है। जबकि असलियत यह है कि कांग्रेस की नीति हमेशा वोट चोरी की रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री वोट चोरी के जनक हैं, जिन्होंने दो बार संविधाननिर्माता को चुनाव हराया। वो वोट चोरी से पटेल की जगह खुद प्रधानमंत्री बने, और वो गांधी सर नेम चुराकर प्रधानमंत्री बनी एवं 12जून 1975 को प्रयागराज अदालत से वोट चोरी के आरोप में सजा पाकर प्रेस से बचने के लिए साडी के पल्लू से मुँह छुपाकर निकलना पड़ा और वो सिख दंगों की आड़ में वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने - आज उस खानदान का युवा चिराग दूसरे को चोर बोल रहा है।

इनके लिए ही बनी एक प्रशिद्ध कहावत है - "नाच न जाने आंगन टेढ़ा"  
अर्थ - अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए बहाने बनाना  
उदाहरण- बिना कार्यकर्ताओं और संघटन की तैयारी के चुनाव में सिर्फ एक वर्ग के वोटों के सहारे उतरना और वार वार हारने पर कभी EVM

डॉ. अंबेडकर ने चुनाव आयुक्त से की थी जांच की मांग

तो कभी चुनाव आयोग पर को कोसना और जनता को भड़काने के लिए फ्रेंक न्यूज फैलाना। कांग्रेस चला रही घुसपैठियों को भारत का वोटर् बनाने संविधान बदलने का झूठा एजेंडा, अब नहीं चलेगा  
दलितों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को भारत का वोटर् बनाकर संविधान बदलने का विदेशी एजेंडा चला रही है। कांग्रेस ने हमेशा संविधाननिर्माता को अपमानित करने का काम किया। तब दलितों ने एकजुट होकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे संविधान बदलने के षड्यंत्र के जवाब देने हेतु हुंकार भरी थी। इस हुंकार ने न केवल कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका बल्कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई।

आज जो कांग्रेसी संविधान की प्रति लहराते हैं, उन्हें मामूल होना चाहिए कि संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। बल्कि संविधान वह पवित्र ग्रंथ है, जिसमें लोकतंत्र और देश के नागरिकों के हित सुरक्षित हैं। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादा का हनन कर रही है। कांग्रेस ने संविधान निमाता को भारत रत्न से वंचित रखा, जबकि

भाजपा ने संविधाननिर्माता को भारत रत्न देने के साथ उनके जन्म स्थान और कर्मस्थली पर स्मारक बनाकर नई सपना दिलाने का काम किया। मोदी योगी राज ने दलितों को पूरा सम्मान मिला है इस सरकार ने किसी दलित मजदूर का अहित नहीं किया।  
जबकि वर्ष 2014 से पहले दलित उत्पीड़न और पिछड़ेपन के शिकार थे। हर 18वें मिनट में दलितों का उत्पीड़न होता था। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, कांग्रेस ने केवल उन्हें सत्ता हथियाने के लिए वोट का हथियार समझा। जब वर्ष 2014 में मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और जातिवाद जैसे नासूर को न केवल खत्म किया। बल्कि सुरासन, पादरिंता और अंत्योदय उत्थान का ऐसा मॉडल पेश किया जोकि आज भी देश भर में मिसाल है।

मोदी योगी ने अंत्योदय उत्थान के मॉडल के जरिये समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब दलितों को हुआ। मिशन मैरिट के आधार पर पढ़े लिखे दलित युवाओं का बिना पर्ची-विना खर्ची नौकरी लगाने का सपना साकार हुआ। इसके साथ ही सरकार ने एएससी कमीशन, सफाई आयोग और पदोन्नति में आरक्षण की लंबित मांग को भी पूरा किया।  
उन्होंने आखिर में कहा कि संविधाननिर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर जी ने दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों को शिक्षा और समानता का अधिकार दिया। इस अधिकार की बदौलत ही आज दलित ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं, इतिहास के पन्नों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर संविधान सम्मान की मुहिम शुरू की गई है।

## उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित दलित छात्र

सर्कारी दावों के अनुसार देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है जो पहले कभी नहीं रहा। इसके पीछे सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को माना जा रहा है। ऐसे तमाम दावों के बावजूद दलितों को छात्रवृत्तियों के रूप पहले से मिली सामाजिक सुरक्षा दलितों की मुद्दी से फिसलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में वंचित वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं के मामलों में भी कुछ ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती को वंचित वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं के सुस्त क्रियान्वयन पर ध्यानाकर्षण करना पड़ा। उन्होंने अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेंजों में विद्यार्थियों को लंबित छात्रवृत्तियों का लाभ दिलाने की मांग की।  
छात्रवृत्ति के सुस्त क्रियान्वयन के कारण ही समय-समय पर संसद में भी छात्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसी कड़ी में 29 जुलाई 2024 को लोकसभा में श्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला, वर्ष 2023-24 में जिनकी संख्या घटकर मात्र 3 लाख 82 हजार रह गयी। वर्ष 2019-20 में दलित वर्ग के 13 लाख 60 हजार विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला जिनकी संख्या वर्ष 2023-24 में घटकर 9 लाख 53 हजार रह गयी, यानि कि उक्त अवधि के दौरान दलित वर्ग के करीब 5 लाख 55 हजार विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजनाओं से बाहर हो गए।  
उक्त आंकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि छात्रवृत्ति योजनाओं पर अमल की प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दम तोड़ रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं के अमल पर उक्त प्रवृत्ति महज एक प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक उदासीनता का रूप ले चुकी है। मसलन्देश में वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति वर्ग के 54 लाख 27 हजार विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति मिली जिनकी संख्या वर्ष 2023-24 में करीब 8 लाख घटकर मात्र 46 लाख

रह गयी। इसी अवधि के दौरान प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की संख्या भी 31 लाख 37 हजार से घटकर 22 लाख 38 हजार रह गयी, यानि कि उक्त अवधि में देश में अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 17 लाख विद्यार्थी उक्त योजनाओं से भी बाहर हो गए। देश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के करीब तीन लाख आवेदन अस्वीकृत हो गए। सरकार द्वारा कक्षा में छात्रवृत्ति योजनाएं समाज को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी योजनाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर विद्यार्थियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर को भी कम करती हैं।  
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायतों का नोटिस बोर्डों, स्कूल कमेटियों एवं अभिभावक-शिक्षक मीटिंग के द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। दलित वर्ग इसकी पुष्टि कम से कम स्थानीय स्तर पर तो सरलता से कर सकता है कि उक्त दिशा-निर्देशों का कितना पालन हो रहा है। छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचे और छात्रवृत्ति को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा कुछ महम कदम उठाए गए जिसके तहत आवेदकों को आधार कार्ड, पिछली कक्षा का अंक-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और बैंक खाते की आवश्यकता होती है। छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों को राजस्व विभाग से आय प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसके कारण अधिकांश विद्यार्थी निर्धारित तिथियों के बीच राजस्व विभाग से आय प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र नहीं बनवा पाते। शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और व्यावसायिकरण के चलते निजी शिक्षण संस्थान दलित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रति होतोत्साहित करते हैं और छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदनों को दर से भेजते हैं। शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति ने छात्रवृत्तियों में फर्जीवाड़े के रूप में एक अलग तरह के भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भले ही सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियों के फर्जीवाड़े के मामलों में कार्रवाई कर दी जाती है पर पात्र विद्यार्थी तो छात्रवृत्ति से वंचित रह ही जाते हैं।





## कमिश्नरट पुलिस, अमृतसर द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा तस्करो और अपराधियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान



अमृतसर / 18 अगस्त (साहिल बेरी)

कमिश्नरट पुलिस, अमृतसर की ओर से Zero Tolerance Policy के अंतर्गत नशा तस्करो, असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था व अमन-शांति बनाए रखने के लिए Cordon & Search Operation (CASO) चलाया गया।

यह ऑपरेशन पुलिस आयुक्त श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर (IPS) के निर्देशों और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री आलम विजय सिंह (PPS) की देखरेख में अमृतसर के तीनों जेलों के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में 18 अगस्त 2025 को संचालित किया गया।

इस दौरान एडीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, स्पेशल SWAT टीमों और भारी पुलिस बल न संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया।

**तलाशी अभियान के मुख्य क्षेत्र:**

गेट हकीमां, अन्नगढ़, फतेह सिंह कॉलोनी, गांव सुल्तानविंद, 88 फुट रोड, यासीन रोड (नजदीक NM सिनेमा), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गुमटाला, गुरु की बडाली, बांसा वाला बाजार, एकता नगर, गुरु तेग बहादुर नगर आदि इलाकों में नशा तस्करो, अपराधियों व जमानत पर बाहर आए अपराधियों के घरों की तलाशी लेकर उनकी गतिविधियों की गहन जांच की गई।

इस दौरान कमिश्नरट पुलिस द्वारा इलाकाई लोगों से संवाद किया गया और अपील की गई कि यदि कोई व्यक्ति नशा तस्करी या अन्य गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल हो, तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 नंबर पर दी जाए। सूचना देने वाले का नाम-पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

**तलाशी अभियान की उपलब्धियां (18 अगस्त 2025):**

NDPS एक्ट के तहत: 12 मुकदमे दर्ज, 14 आरोपी काबू, 234 ग्राम हेरोइन, 6720 ड्रग मनी, 03 लाइटर व सिल्वर पेपर बरामद।

Excise Act: 03 मुकदमे दर्ज, 03 आरोपी काबू, 110 बोटल अवैध शराब बरामद।

BNS Act: चोरी की 01 एक्टवा स्कूटी बरामद।

BNSS Act: 12 अपराधियों पर रोकथाम कार्रवाई।

--- वर्ष 2025 (01 जनवरी से 17 अगस्त 2025) की उपलब्धियां:

1. NDPS Act के तहत: 863 मुकदमे दर्ज, 1655 नशा तस्करी गिरफ्तार।

ब्रामद: 190 किलो 965 ग्राम हेरोइन, 13 किलो 582 ग्राम अफीम, 372 ग्राम आई ड्रग, 9 किलो गांजा, 15 किलो 305 ग्राम चरस, 112



ग्राम कोकीन, 325 किलो 577 ग्राम नशीला पाउडर, 25 किलो भूकी, 1550 नशीले इंजेक्शन, 3,77,798 नशीली गोलीयां/कैप्सूल, 2,68,61,665 ड्रग/हवाला मनी और 81 वाहन।

2. आमर्स एक्ट: 48 मुकदमे दर्ज, 99 आरोपी गिरफ्तार।

ब्रामद: 113 अवैध हथियार (पिस्टल, रिवाल्वर, गन), 105 मैगजीन, 243 कारसूस और 10,50,000 हवाला मनी।

3. हवाला ऑपरेशंस: 22 हवाला ऑपरेशंस गिरफ्तार, जिनमें 02 हथियार तस्करी शामिल।

ब्रामद: 1,73,59,000 हवाला मनी।

4. CASO अभियान: अब तक 77 तलाशी अभियान चलाए गए।

5. ड्रग मनी से अर्जित प्रॉपर्टी फ्रीज (68-F NDPS Act):

3,41,74,941 मूल्य की 08 प्रॉपर्टी का प्रस्ताव भेजा गया।

इनमें से 05 प्रस्ताव कंफर्म, 1,27,78,093 की संपत्ति फ्रीज।

6. De-Addiction व Rehabilitation Centre: 2178 व्यक्ति भर्ती, OOA सेंटर में 1559, सेक्शन 64-A NDPS के तहत 144 व्यक्ति प्रोसीड।

7. अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण: 11 प्रॉपर्टी ध्वस्त।

8. NDPS एक्ट के तहत PO गिरफ्तार: 32।

9. एंटी-ड्रग जागरूकता अभियान: 87 संप्रक मीटिंग, 222 जागरूकता शिविर/सेमिनार।

10. गैर-कानूनी दवाइयों पर कार्रवाई: 04 मुकदमे दर्ज, 04 आरोपी गिरफ्तार।

ब्रामद: 1,48,974 नशीले कैप्सूल, 1,52,020 गोलीयां, 28 इंजेक्शन और 820 द्रामाडोल गोलीयां।

संबंधित फार्मा कंपनी का संचालक देहरादून से गिरफ्तार।

--- कमिश्नरट पुलिस, अमृतसर जनता की सुरक्षा और शहर में अमन-शांति बनाए रखने के लिए 24 घंटे तत्पर है।

## योग्य लाभुक खाद्य आपूर्ति योजना से वंचित न हों : अलका तिवारी, मुख्य सचिव

भादों महिने में झारखंड के सभी उपायुक्तों साफ निर्देश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, पथरीली जमीन पर बसा झारखंड में भादों मास ग्रीनों के लिए कष्टदायक होता है। आजादी के लगभग 79 वर्ष के बाद भी विशेषकर उन दूर दराज जंगली व पहाड़ी ग्रामीण, अविकसित इलाकों में बसे लोगों के लिए इसीमास को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के

तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे। वही मूलभूत लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हटाये, ताकि नये लाभुक जोड़े जा सकें। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे। लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों। इसमें कोई समस्या हो, तो उसका परीक्षण करें कि कहाँ दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिपोर्ट व बुक कॉपींग अपडेट रखें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थीं।

मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया कि इसमें तेजी लायें। उडनदस्ता भी बना कर वितरण की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो। उन्होंने सरकार



की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर बल देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिये कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे। इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुबकड़ नाटक जैसे हर संभव माध्यम का उपयोग करें। उसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। लाभुकों को यह हर हाल में पता होना चाहिये कि उन्हें क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ मिलना है और कब मिलना है।

मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी गोदामों को कार्यशील बनाया जा सकता है। समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण अनेक गोदाम उपयोग में नहीं हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से इसमें रूचि लेकर गोदामों को उपयोगी बनाया सुनिश्चित करायें। इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई। उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू

होगी। धान खरीद और उसके संरक्षण को सुगम बनाया है और भूगतान भी त्वरित तरीके से करना है, इसलिए समय रहते कमियों को दूर कर लें।

गोदामों के रख-रखाव के साथ वहाँ मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर लें। इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उसका भी उपयोग करें। स्वीकृत नये गोदामों के निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देशों के अनुपालन में फंड की जरूरत होने पर उसका प्रस्ताव विभाग को देने को कहा। उन्होंने कहा कि ससमय खाद्यान्न वितरण उसके ससमय उठाव पर निर्भर करता है, इसलिए उठाव पर पैनी नजर रखें। बताया गया कि इसपर नजर रखने के लिए सेंट्रल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा के दौरान खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

## संबलपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी



मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर--: उपमुख्यमंत्री एवं कृषि एवं किसान सशक्तिकरण, ऊर्जा मंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 के अनुसार संबलपुर में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इससे कृषि और संबद्ध विज्ञानों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर तैयार करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और लाभदायक कृषि प्रणालियों को विकसित करने में मदद मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री सिंह देव ने कहा कि प्रस्तावित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

ओडिशा के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा - यह कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा, किसानों को सशक्त बनाएगा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में नवाचार को बढ़ावा देगा। यह निर्णय कृषि और संबद्ध व्यवसायों को लाभदायक उद्यमों में बदलकर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभकारी साबित होगा।

बैठक में कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाटी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार मिश्रा, मत्स्य प्रालन एवं पशुधन विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुरेश कुमार बसिडा और ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. पार्वती कुमार रावल उपस्थित थे, जिन्होंने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत की।

## पीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास और वरिष्ठ बीजद विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वैन (राजा) के साथ भी अस्पताल परिसर में दुर्व्यवहार किया

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर: विपक्षी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलने के बाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास अपने विधायक पुत्र सागर दास के साथ मानवीय दृष्टिकोण से उनका हालचाल जानने पहुँचे। उन्होंने मेडिकल टीम से अनुरोध किया कि वे कुछ देर के लिए नवीन को शोरो से देखें, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई। वहाँ मौजूद पांडियन, भक्त की डॉक्टरों से हुई बातचीत को पचा नहीं पाए।

उन्होंने सीधे भक्त पर निशाना साधते हुए पूछा, 'आप डॉक्टरों को परेशान और दबाव क्यों बना रहे हैं?' इस पर भक्त दास ने कहा, 'नवीन पटनायक राज्य की संपत्ति हैं, उन्हें अपना स्वास्थ्य जानने का अधिकार है' और पांडियन से कहा, 'मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप मेरे जिले में सब-कलेक्टर थे।' यह बात पांडियन को नागवार गुजरी। जवाब में पांडियन ने उन पर तंज करते हुए कहा कि आप तो तब भी चुनाव हार गए थे। पांडियन ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दास की बेहद अभद्र और अपमानजनक तरीके से आलोचना की थी। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पांडियन इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे



कर सकते हैं और उनकी पार्टी ने यह सब कैसे पचा लिया, यह अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है।

'मैं गिरा हूँ, पार्टी से बाहर नहीं। अगर यहाँ राजनीति करोगे तो एक फ़ोन पर पार्टी से निकाल दूँगा।' कुछ इसी अंदाज़ में बीजेडी के अधोषिक्त सर्वेसाथी वीके पांडियन ने पार्टी के 70-80 से ज्यादा अग्रिम पंक्ति के नेताओं को धमकया। और वो नेता भी जो राजधानी भुवनेश्वर के सैम अल्टीमेट मेडिकेयर अस्पताल में अपने प्रिय नेता नवीन पटनायक का हालचाल जानने गए थे इतना ही नहीं, विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पांडियन ने अस्पताल परिसर में पीसीसी अध्यक्ष भक्तचरण दास और वरिष्ठ बीजद विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वैन (राजा) को भी गालियाँ देने में संकोच नहीं किया। यह भी पता चला है कि

## गोड्डा पुलिस द्वारा 69 ग्राम ब्राउन शुगर जप्त, एक अभियुक्त को भेजा गया जेल



कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

गोड्डा, जमशेदपुर / आदित्यपुर (समयकेला), रांची के बाद अब गोड्डा जिला भी मादक पदार्थ की चपेट में आ रहा है। गोड्डा जिला के पुलिस ने मादक द्रव्य के अवैध कारोबार के खिलाफ सतर्कता पूर्वक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर की तस्करी और खरीद-बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मिलन कुमार पंडित उर्फ अभिषेक पंडित के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से प्लास्टिक में लपेटा हुआ कुल 69 ग्राम ब्राउन शुगर, विभिन्न कंपनियों के 10 मोबाइल फोन, और डेल, एचपी ब्रांड के 2 लैपटॉप बरामद किए हैं यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। 17 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि गंगटा खुद स्थित देवी भवन में एक व्यक्ति द्वारा ब्राउन शुगर की अवैध रूप से खरीद-बिक्री और सेवन किया जा रहा है। इस सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद एसपी के आदेश पर अंचलाधिकारी हलधर कुमार सेठी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम ने उक्त स्थल पर दबिश दी और मौके पर मिलन कुमार पंडित को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

## विधायक अंवा प्रसाद के भाई के तीन करोड़ की संपत्ति ईडी ने किया ऐटैच

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

रांची। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय मार्च में की गयी छापेमारी के बाद अब बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस की पूर्व विधायक अंवा प्रसाद के भाई अंकित राज की लगभग तीन करोड़ की संपत्ति जप्त की है। अंकित राज, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे हैं। ईडी का मानना है कि यह संपत्ति बालू के अवैध धंधे से कमाई गई। ईडी को जानकारी मिली थी कि अंकित राज अवैध तरीके से पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद ईडी ने पिछले साल मार्च और जुलाई में अंवा प्रसाद के हजारों गांव स्थित घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने अंवा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज लगभग 16 प्राथमिकियों को इसी आईआर के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू की।



जांच में पता चला कि सोनपुर घाट का मॉडर्निज लाइसेंस 2019 में खत्म हो गया था। इसके बावजूद अंकित राज प्लांट, दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू निकाल रहे थे। बालू के इस अवैध कारोबार से अंकित राज ने तीन करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। अंवा प्रसाद के परिवार पर रंगदारी, जमीन पर अवैध कब्जा और कोयला कंपनियों को हड़पने जैसे आरोप भी हैं। सूत्रों के अनुसार, जब ईडी की छापेमारी चल रही थी, तब अंवा के घर पर एक विदेशी लॉकर मिला था। लॉकर की चाबी मांगने पर परिवार के सदस्य ईडी के अधिकारियों को नहीं दे रहे थे। तब ईडी के अधिकारियों ने हजारीबाग से ताला की चाबी बनाने वाले को बुलाया। जब चाबी बनाने वाला आया तो ईडी के अधिकारियों को चाबी दी गई। आलमोरा खुलने पर ईडी के अधिकारी हैरान रह गए। उसमें कई जानकारियां मिली।

## झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता सेवा विस्तार मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

केंद्र ने भी राज्य सरकार की रिटायरमेंट उम्र सीमा एवं सेवा विस्तार को कहा था गलत

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

रांची, झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लोक जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनबी अंजूरिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की। शोष अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। जहां अनुराग गुप्ता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने आज उनका पक्ष को रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जनहित याचिका में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियमावली को चुनौती दी गई है, उसपर पर अलग सुनवाई हो सकती है इस पर अनुराग गुप्ता को जो राहत मिली है उसपर आगे ऊंट किस कदर बैठेगा देखने वाली बात है।

बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जबकि हाई कोर्ट में सरकार की डीजीपी नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को चुनौती दी है। इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। अपने लोक जमाने सिब्बल ने कहा कि अनुराग गुप्ता को सभी नियमों का पालन करते हुए डीजीपी बनाया गया है। तब अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।



गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी थी। इस याचिका में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। मरांडी का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीएससी पैनेल से चुने गए डीजीपी को हटाकर अनुराग गुप्ता को गलत तरीके से नियुक्त किया गया।

डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले थे। राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र भेजा, लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। केंद्र का स्पष्ट कहना है कि गुप्ता की सेवा 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी पद पर बनाए रखा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली को नियम विरुद्ध करार देते हुए सेवा विस्तार को असंवैधानिक बताया है। लेकिन झारखंड सरकार अपने रुख पर कायम है और गुप्ता की नियुक्ति को वैध ठहरा रही है।

## राजस्थान नागरिक संघ-बोड़नपल्ली, हैदराबाद-सिकंदराबाद की सावन की सैर संपन्न



राजस्थान नागरिक संघ द्वारा इस बार सावन की सैर के तहत "छोटी अयोध्या" ( भद्राचलम) भूमण का आयोजन रखा गया।

कमेठी के मदन सिंह शेखावत ने मरुवेदना भेट में बताया कि इस बार सावन की सैर कार्यक्रम के तहत कमेठी परिवार के 40 सदस्यों के साथ 14 अगस्त को बोड़नपल्ली स्थित वैष्णोदेवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत माता रानी एवं हर हर महादेव के जयकारों के साथ बस से रवाना हो के 15 अगस्त को सुबह

भद्राचलम गोदावरी नदी के तट पे पहुंचे तथा स्नान किया तत्पश्चात श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में सभी ने दर्शन किये तथा भोजन के उपरांत वहाँ से सभी रघुनासालार पहुंचे जो की गोदावरी तट पे स्थित बहुत ही रमणीक स्थल है कहा जाता है कि श्रीराम-लक्ष्मण जो ने बनवास का कुछ समय वहाँ व्यतीत किया था। चारों तरफ हरियाली तट पे स्थित बहुत ही रमणीक कल बहती गंगा - गोदावरी की प्राकृतिक छटा का सभी ने खूब आनंद लिया तत्पश्चात बस से रवाना हो के

गाते, बजाते, नाचते झूमते वारंगल पहुँच के सभी ने डिनर का आनंद लिया तथा 16 अगस्त को सुबह वापस हैदराबाद पहुँचे। कार्यक्रम कमेठी सदस्य सुरेश शर्मा, जगदीश जांगिड़, तेजाराम जाखड़ एवं मदन सिंह शेखावत के संयोजन से हुआ जिसमें रमेश जांगिड़, कैलाश वैष्णव, लोकेश शर्मा एवं महिला सदस्यों में टीना शर्मा, सुमित्रा जांगिड़, नेहा जाखड़, सीमा जांगिड़, राजबाला वैष्णव, सरिता शर्मा एवं संजना शेखावत का विशेष सहयोग रहा।